कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या 7906 /का0आ0/ लखनऊ:दिनांक 15.2.2011

कार्यालय ज्ञाप

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग की अधिसूचना संख्या–आडिट–2717/दस–2010–604(1)/97 दिनांक–11 फरवरी 2011 के द्वारा उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (अधिनियम संख्या–21, सन् 1860) की धारा–3 और धारा–3–क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन संदेय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए फीस में वृद्धि करते हैं और उक्त धारा–3–क की उपधारा–(3) और उपधारा–5 के खण्ड–(ख) और (ग) के अधीन संदेय अतिरिक्त फीस को अधिसूचित करते हैं:–

क्रमांक	सो0रजि0ऐक्ट 1860 की धाराओं का विवरण	धाराओं के अधीन सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण	संशोधित शुल्क
1	धारा–3(1)	सोसाइटी पंजीयन शुल्क	रू0 2000
2	धारा–3क (3) (क)	सोसाइटी नवीनीकरण शुल्क	रू0 1000
3	धारा–3क (3) (ख)	निर्धारित अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक मास के अन्तर्गत दाखिल किये गये नवीनीकरण आवेदन पर विलम्ब शुल्क	रू0 100
4	धारा–3क (3) (ग)	क्रमांक 3 में दी गयी अवधि की समाप्ति के पश्चात दाखिल किये गये नवीनीकरण आवेदन पर प्रत्येक मास के लिए विलम्ब शुल्क	रू0 50
5	धारा–3क (5)	एक वर्ष में नवीनीकरण कराने में विफल हो जाने पर नवीनीकरण अनुमति शुल्क	रू0 1000

उपरोक्त बढ़ी हुयी दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

(सोमलता सिंह)
रजिस्ट्रार

संख्या 7906–7918 /का0आ0/ लखनऊ:दिनांक 15.2.2011

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
डिप्टी/ रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, फैजाबाद, झांसी, गोरखपुर, बरेली, इलाहाबाद मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, आजमगढ़।

(अंजली सोनी)
डिप्टी रजिस्ट्रार

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग
संख्या–आडिट–2717 / दस–2010–604(1) / 97
लखनऊ : : दिनांक : 11 फरवरी, 2011

अधिसूचना
प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या–21, सन् 1860) की धारा 3 और धारा 3–क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन संदेय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण फीस और धारा 3–क की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन संदेय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र के नवीकरण के लिए फीस में वृद्धि करते हैं और उक्त धारा 3–क की उपधारा (3) और उपधारा(5) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन संदेय अतिरिक्त फीस को अधिसूचित करते हैं।

कम संख्या	धाराओं के अधीन देय फीस का विवरण	फीस
1	धारा 3 (1)	2000
2	धारा 3–क (3)(क)	1000
3	धारा 3--क (3)(ख)	100
4	धारा 3–क(3)(ग)	50
5	धारा 3–क (5)	1000

उक्त निम्नलिखित धाराओं के अधीन सम्बन्धित व्यक्तियों के पास या तो नकद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा फीस के भुगतान के लिए स्वतंत्रता होगी।

आज्ञा से,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।